कार्यालय प्राचार्य, वीर चन्द्र सिंह गढवाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढवाल, उत्तराखण्ड।

फोन न0: 01346–244701,244704
फैक्स: 01346–244702
Email: principalvcsg@gmail.com
Website:http://vcsgsringar.org/

पंत्राक– मे0का0श्री0 / कैन्टीन / 2026–27 / दिनांक– 17 / 06 / 2026

सेवा में,

1. सुदामा एसोसिएट, नवादा मियावाला देहरादून–248001।
2. गायत्री टेन्ट हाउस, एल0आर0 साहू रोड, नियर विशाल मार्ट, अल्मोडा।
3. देव गणपति सर्विसेस, मेन मार्केट पावो, पौडी गढवाल।
4. मलहोत्रा एसोसिएट, 73, नेहरू कालोनी, आराधर देहरादून।
5. बिष्ट कैटर्स, पैडुल, मेन मार्केट, पौडी गढवाल।
6. होटल मधुबन, ऐजेन्सी रोड, नियर आई0सी0आई0सी0आई0 वैक, पौडी गढवाल।
7. बाटिका रेस्टोरेन्ट, गोला मार्केट, श्रीनगर गढवाल।
8. श्री शिव इर्न्टप्राइजेज, थपली चौरास, पो0ओ0 किलकिलेश्वर, टिहरी गढवाल।
9. शाही टेन्ट हाउस एण्ड कैटर्स, गौला बाजार, रामलीला मैदान, श्रीनगर गढवाल।

विषय– मेडिकल कॉलेज के अर्न्तगत हे0न0ब0 बेस चिकित्सालय परिसर मे कैन्टीन संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत करना है कि वीर चन्द्र सिंह गढवाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढवाल (उत्तराखण्ड) द्वारा हे0न0ब0 बेस चिकित्सालय के मुख्य लैब के सामने व सैम्पल कैलेक्सन सेन्टर के पीछे रिक्त भूमि पर नितान्त अस्थायी व्यवस्था के अर्न्तगत फैब्रिकेटेड कैन्टीन का निर्माण कर तदोपरान्त संचालन कार्य हेतु इच्छुक एंव कुशल फर्मो/ठेकेदारों" से जिनके पास सरकारी/अर्धसरकारी/निगम/प्राधिकरण/मेडिकल कॉलेज/चिकित्सालय/संस्थान मे कैन्टीन संचालन कार्य हेतु अनुभव हो से निर्धारित "शर्तो एवं प्रतिबन्धों" के अन्तर्गत कोटेशन के माध्यम से किराये की दरें आमंत्रित की जाती हैं।

अतः उपरोक्त के क्रम मे इस पत्र के साथ कोटेशन से सम्बन्धित "शर्तो एवं प्रतिबन्धों" /प्रपत्र की प्रति इस पत्र के साथ सलग्न कर इस आशय के साथ प्रेशित की जा रही है कि उपरोक्तानुसार कैन्टीन संचालन हेतु चाहे गये समस्त अभिलेखो सहित अपनी दरे अधिकतम 15 दिवसो के भीतर सील बन्द लिफाफे मे इस कार्यालय को उपलब्ध करनाने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्राचार्य
वी0च0सि0ग0रा0आयु शोध स0
श्रीनगर गढवाल।

पंत्राक– मे0का0श्री0 / कैन्टीन / 2026–27 / 1525 तददिनांकित

प्रतिलिपिः–

1. श्री विपिन कठैत को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना कालेज की वैवसाईट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।
2. मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय सूचना पट।

प्राचार्य
वी0च0सि0ग0रा0आयु शोध स0
श्रीनगर गढवाल।

Scanned with OKEN Scanner

वीर चन्द्र सिंह गढवाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढवाल (उत्तराखण्ड)

पत्रांकः–रा0मे0कॉ0श्री0 / कैन्टीन / 2026 / 1524 दिनांकः– 17.06.2026

कोटेशन सूचना

वीर चन्द्र सिंह गढवाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढवाल (उत्तराखण्ड) द्वारा हे0न0ब0 बेस चिकित्सालय के मुख्य लैब के सामने व सैम्पल कैलेक्सन सेन्टर के पीछे रिक्त भूमि पर नितान्त अस्थायी व्यवस्था के अर्न्तगत फैब्रिकेटेड कैन्टीन का निर्माण कर तदोपरान्त संचालन कार्य हेतु इच्छुक एंव कुशल फर्मो / ठेकेदारों" से जिनके पास सरकारी / अर्धसरकारी / निगम / प्राधिकरण / मेडिकल कॉलेज / चिकित्सालय / संस्थान मे कैन्टीन संचालन कार्य हेतु अनुभव हो से निर्धारित "शर्तो एवं प्रतिबन्धों" के अन्तर्गत कोटेशन के माध्यम से किराये की दरें आमंत्रित की जाती हैं।

प्राचार्य
वीर चन्द्र सिंह गढवाली राजकीय आयुर्विज्ञान
एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढवाल (उत्तराखण्ड)।

Scanned with OKEN Scanner

वीर चन्द्र सिंह गढवाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढवाल (उत्तराखण्ड) के अन्र्तगत हे0न0ब0 बेस चिकित्सालय के परिसर में कैन्टीन का अस्थायी निर्माण कर तदोपरान्त संचालन कार्य हेतु "अर्हता शर्तो एवं प्रतिबन्धों"का विवरण

1. हे0न0ब0 बेस चिकित्सालय के मुख्य लैब के सामने व सैम्पल कैलेक्सन सेन्टर के पीछे रिक्त भूमि, जिसकी माप 22X40 फिट एवं लगभग सीमेन्टेड फर्श है, पर नितान्त अस्थायी व्यवस्था के अर्न्तगत फैब्रिकेटेड कैन्टीन का निर्माण किया जाना है। जिसका सम्पूर्ण व्यय कोटेशनदाता फर्म/ठेकेदार द्वारा बहन किया जायेगा। मेडिकल कालेज द्वारा उक्त कैन्टीन के निमार्ण आदि कार्यो पर कोई व्यय/भुगतान नही किया जायेगा। कोटेशनदाता फर्म/ठेकेदार किसी भी कार्य दिवस मे उक्त का स्थलीय निरीक्षण कर सकते है।
2. कोटेशन मे किराये की दरें समस्त टैक्स एंव अन्य देयको (टैक्स ड्यूटी इत्यादि) को शामिल करते हुये दर्शाया जाना होगा। कैन्टीन हेतु अधिकतम किराया प्रदान करने वाली फर्म को ही कार्य आदेश प्रदान किया जायेगा। फर्म को विद्युत एंव पानी की खपत की प्रतिपूर्ति किराये की धनराशि के अतिरिक्त करनी होगी। काटेशन डाले जाने पर यह माना जायेगा कि संबंधित फर्म को कोटेशन की सभी **"शर्तें एवं प्रतिबन्ध"** मान्य हैं।
3. फर्म/ठेकेदार के पास **"कैन्टीन"** संचालन संबंधित कार्यो हेतु सरकारी/अर्धसरकारी/निगम/प्राधिकरण/मेडिकल कॉलेज/चिकित्सालय/संस्थान जहॉ पर कोटेशनदाता फर्म/ठेकेदार द्वारा कम से कम 02 वर्षो तक कैन्टीन संचालन का कार्य किया गया हो। फर्म/ठेकेदार को सक्षम स्तर से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि कोटेशन प्रपत्र के साथ सलग्न किया जाना आवश्यक है।
4. फर्म/ठेकेदार को कोटेशन प्रपत्र के साथ नवीनतम 02 वर्षो के **"इन्कमटैक्स रिर्टन"** की प्रति संलग्न की जानी अनिवार्य है।
5. फर्म/ठेकेदार को कोटेशन प्रपत्र के साथ खाद्य सामग्री की बिक्री से संबंधित **"विधिक फूड लाईसेंन्स"** सलग्न करनी अनिवार्य है।
6. फर्म/ठेकेदार को कोटेशन प्रपत्र के साथ जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि सलग्न की जानी आवश्यक है।
7. कैन्टीन मे खादय सामग्री की कोटि सदैव उच्च स्तर की होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की मिलावट अथवा अन्य प्रकार से स्तर में कमी को गम्भीरता से लिया जाएगा। निम्न कोटि की सामग्री के सापेक्ष किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर निविदादाता को निम्न सामग्री को तत्काल बदलना होगा। तत्काल नहीं बदले जाने की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। फर्म को इस दिशा में समुचित ध्यान देना होगा।
8. किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो को उपरोक्त कैन्टीनो मे विकय किया जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित है। मादक पदार्थो को विकय करते हुए पकडे जाने पर 1000 रू0 जुर्माना अर्थदण्ड के रूप मे वसूला जायेगा।
9. "फर्म/ठेकेदार" द्वारा "कैन्टीन/कैफेटेरिया" से विक्रय किये जाने वाले पैक्ड् (Packed) उत्पादों को "एम.आर.पी./एम.आर.पी. या उससे कम" दरों पर ही विक्रय किया जायेगा। "कैन्टीन/कैफेटेरिया" से बिक्री की जाने वाली अनपैक्ड खादय सामग्री की दरों पर "मेडिकल

Scanned with OKEN Scanner

कॉलेज प्रशासन" से "अनुमोदन/स्वीकृति" ली जानी आवश्यक होगी। इस हेतु गठित "समिति" एवं "फर्म/ठेकेदार" (जिसके पक्ष में निविदा स्वीकृत हुई हो) की आपसी सहमति से दरें एवं बिक्री माप स्वीकृत की जाएगी। स्वीकृत दरों की सूची को स्पष्ट रूप से "कैन्टीन/कैफेटेरिया" पर दर्शाया जाएगा। सामान्यतः ये दरें बाजार दरों से अधिक नहीं होंगी।

10. "फर्म/ठेकेदार" को कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मासिक किराये का भुगतान अग्रिम से जमा किया जाना आवश्यक है तथा प्रत्येक माह की 07 तारीख तक किराये की धनराशि जमा की जाएगी। इसके अतिरिक्त "फर्म/ठेकेदार" द्वारा "कैन्टीन/कैफेटेरिया" संचालन के कार्य के सापेक्ष "विद्युत एवं पेयजल बिल" का वास्तविक उपभोग के अनुसार पृथक से "वीर चन्द्र सिंह गढवाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढवाल (उत्तराखण्ड) को भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु "फर्म/ठेकेदार" को बिल प्राप्त होने की स्थिति में बिल में दर्शायी गयी निर्धारित तिथि तक संबंधित बिल का भुगतान "वीर चन्द्र सिंह गढवाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढवाल (उत्तराखण्ड) के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

11. "कैन्टीन/कैफेटेरिया" हेतु अन्य समस्त सामग्री "फर्म/ठेकेदार" को स्वंय ही उपलब्ध करानी होगी जैसे :– बर्तन, भोजनथाल (ढक्कनयुक्त), कुकिंग गैस, रैफरीजिरेटर, भण्डारण हेतु ढक्कनायुक्त बर्तन, खान–पान सामग्री, मिक्सर–ग्राइन्डर/ब्लेन्डर, मापन हेतु कप, चमच, विशिष्ट स्थलों (प्रशासनिक भवन) हेतु निर्दिष्ट क्रॉकरी, डिस्पोजेबल गिलास, प्लेट, कप इत्यादि। इसके अलावा इस हेतु प्रशिक्षित कार्मिकों की व्यवस्था "फर्म/ठेकेदार" को स्वंय करनी होगी। कार्य अवधि के दौरान यदि उपलब्ध करायी गयी सामग्री में कोई खराबी या टूट–फूट इत्यादि होती है तो इसके मेन्टेनैन्स की समस्त जिम्मेदारी "फर्म/ठेकेदार" की रहेगी।

12. समस्त "कुकिंग" केवल एल.पी.जी. गैस पर ही की जायेगी जिसका कनैक्शन "व्यवसायिक गैस कनैक्शन" (कॉमर्शियल) होगा। लकड़ी, कोयला एवं हीटर इत्यादि का प्रयोग "फर्म/ठेकेदार" द्वारा कदापि नहीं किया जायेगा। यदि "फर्म/ठेकेदार" द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसे कार्यो के प्रति स्पष्ट रूप से उल्लंघन माना जायेगा।

13. "फर्म/ठेकेदार" को "कैन्टीन/कैफेटेरिया" परिसर में पूर्णतया स्वच्छ एवं हाईजिनिक वातावरण बनाये रखना अनिवार्य होगा यदि किसी निरीक्षण में यह पाया गया कि "कैन्टीन/कैफेटेरिया" परिसर में अत्यधिक गन्दगी इत्यादि फैली हुयी है तो "वीर चन्द्र सिंह गढवाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढवाल (उत्तराखण्ड) प्रशासन" द्वारा "फर्म/ठेकेदार" के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

14. "फर्म/ठेकेदार" द्वारा उक्त कार्यो हेतु लगाये गये कार्मिकों अथवा उनके आश्रितों का "अनुबन्ध" अवधि के दौरान निकाले जाने पर/कार्यरत होने पर या अनुबन्ध समाप्त होने पर किसी भी प्रकार का कोई क्लेम (नियुक्ति, वित्तीय आदि) "वीर चन्द्र सिंह गढवाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढवाल (उत्तराखण्ड) प्रशासन" पर नहीं होगा। यदि इस प्रकार के कोई क्लेम हेतु कर्मी न्यायालय जाता है तो उसमें होने वाले खर्चे इत्यादि का समस्त दायित्व "फर्म/ठेकेदार" को वहन करना होगा।

15. सुरक्षा की दृष्टि से "फर्म/ठेकेदार" को कार्यस्थल पर लगाए जाने वाले कार्मिकों हेतु "फोटो पहचान पत्र" बनवाना आवश्यक होगा। "फोटो पहचान पत्र"धारित किए हुए कार्मिकों को ही "कैन्टीन/कैफेटेरिया" परिसर में कार्य करने की अनुमति होगी।

Scanned with OKEN Scanner

16. वर्तमान में निर्दिष्ट एवं भविष्य में समय–समय पर वीर चन्द्र सिंह गढवाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढवाल (उत्तराखण्ड) द्वारा बनाये गये समस्त नियमों का पालन "फर्म / ठेकेदार" को करना अनिवार्य होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में "प्राचार्य, वीर चन्द्र सिंह गढवाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढवाल (उत्तराखण्ड)" का निर्णय अंतिम व "फर्म / ठेकेदार" को पूर्णतया मान्य होगा।

17. इन्कमटैक्स, सर्विस टैक्स, जी0एस0टी0,एवं श्रम विभाग के अर्न्तगत आने वाले समस्त नियमों के (न्यूनतम मजदूरी, ई.पी.एफ. इत्यादि) कानूनों के अनुपालन की समस्त जिम्मेदारी "फर्म / ठेकेदार" की होगी एवं उससे संबंधित कोई भी जिम्मेदारी "वीर चन्द्र सिंह गढवाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढवाल (उत्तराखण्ड) प्रशासन" की नहीं होगी।

18. "फर्म / ठेकेदार" द्वारा"कैन्टीन / कैफेटेरिया" से निकलने वाले कूढ़े, सफाई व्यवस्था इत्यादि का निस्तारण स्वयं की व्यवस्था पर किया जाना होगा।

नोट :– इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए प्राचार्य कार्यालय, "वीर चन्द्र सिंह गढवाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढवाल (उत्तराखण्ड) से किसी भी कार्यालय दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

दूरभाष संख्या –01346–244701

प्राचार्य
वीर चन्द्र सिंह गढवाली राजकीय
आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान,
श्रीनगर गढवाल (उत्तराखण्ड)।

Scanned with OKEN Scanner

वीर चन्द्र सिंह गढवाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढवाल(उत्तराखण्ड)

हे0न0ब0 बेस चिकित्सालय के परिसर में कैन्टीन का अस्थायी निर्माण कर तदोपरान्त संचालन कार्य हेतु

- कैन्टीन हेतु प्रति माह किराये की धनराशि – अंको मे..

  शब्दों में...

हस्ताक्षर कोटेशनदाता : ....

नाम कोटेशनदाता : ....

पता एवं दूरभाषः ....

दिनांकः ....